रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72

REGISTERED No. D. (D.N.)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 84] नई दिल्ली, सोमवार, मई 3, 1982/वैशाख 13, 1904
No. 84] NEW DELHI, MONDAY, MAY 3, 1982/VAISAKHA 13, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 मई, 1982

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 21-ई टी सी (पी एन)/82

विषय:— 1982-83 के दौरान विनिर्मित वस्तुएं/हस्तशिल्प का निर्यात जिसमें मोर की पूंछ के पंखों का उपयोग किया गया है (झाड़ू, बंडल और झाड़न आदि को छोड़कर)

मिसिल सं० 30/11/82-ई2— उपर्युक्त विषय पर निर्यात (नियंत्रण) संशोधन आदेश सं० ई (सी) ओ 1977/ एएम (238), दिनांक 3 मई, 1982 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. यह निश्चय किया गया है कि निर्यातकों की निम्नलिखित श्रेणियों को विनिर्मित वस्तुओं/मोर की पूंछ के पंखों से बने हुए हस्तशिल्पों का निर्यात (जिसमें झाड़ू, झाड़न और बंडल शामिल नहीं हैं) करने की अनुमति दी जाए :—

1. राजस्थान पंख (उत्पादन) सहकारिता समिति, जोधपुर।
2. बिहार राज्य निर्यात निगम।
3. अन्य सार्वजनिक क्षेत्र सहकारिता अभिकरण।
4. विनिर्मित वस्तुएं/मोर की पूंछ के पंखों के बने हुए हस्तशिल्पों के निर्यातक।
5. सुस्थापित निर्यातक।

3. मोर की पूंछ के पंखों से बनी हुई वस्तुओं का निर्यात उनके लिए निर्धारित विशिष्ट कोटे की मदद क्र० सं० 1 से 2 में दर्शाए गए अभिकरणों द्वारा अनुमेय होगा। उपर्युक्त क्र० सं० 3 और 4 पर दर्शाई गई श्रेणियों के सम्बन्ध में निर्यात 1982-83 (खं० 2) के लिए आयात और निर्यात नीति पुस्तक की कंडिका 11 के प्रावधान के अनुसार पहले आए सो पहले पाए के आधार पर उच्चतम निर्धारित सीमा के अन्तर्गत अनुमेय होगा। जहां तक सुस्थापित निर्यातकों का सम्बन्ध है, उनके आबंटित कोटे के मद्दे यथानुपात के आधार पर निर्यात अनुमेय होगा। सम्बद्ध के पत्तन के लाइसेंस प्राधिकारियों को अलग-अलग कोटा भेज दिया गया है। निर्यातकों की सभी पांच श्रेणियों द्वारा केवल अपरिवर्तनीय साख-पत्र के मद्दे ही निर्यात अनुमेय होगा। अधिक मूल्य वाली ऐसी मदों को ही अधिमानता दी जाएगी जिनमें ज्यादा श्रम लगा हो अधिक मान्यता दी जाएगी इस प्रकार मोर की पूंछ के पंखों, और कलगी के पंखों अथवा मोर के अन्य भाग के निर्यात के लिए अनुमति नहीं होगी।

4. तदनुसार 1982-83 (वा० 2) के लिए आयात और निर्यात नीति के पृष्ठ 9 पर क्रम संख्या 4 (घ) के सामने दर्शाई गई वर्तमान प्रविष्टि को संशोधित करके निम्नप्रकार से पढ़ा जाएगा :-

निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 की अनुसूची 1 भाग "ख" की क्र० सं०	मद का विवरण	लाइसेंस नीति
4 (घ)	विनिर्मित वस्तुएं/मोर की पूंछ के पंखों के बने हुए हस्त-शिल्प (जिसमें झाड़ू, झाड़न और बंडल शामिल नहीं हैं)	अपरिवर्तनीय साख-पत्र के मद्दे पहले आए सो पहले पाए के आधार पर उच्चतम निर्धारित सीमा के अन्तर्गत निर्यात अनुमेय होगा । अधिक मूल्य वाली ऐसी मदों को ही अधिमान्यता दी जाएगी जिसमें ज्यादा श्रम लगा हो। इस प्रकार मोर की पूंछ के पंखों और कलगी के पंखों अथवा मोर के अन्य भाग के निर्यात के लिए अनुमति नहीं होगी ।

मणि नारायण स्वामी, मुख्य नियंत्रक
आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 3rd May, 1982

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE No.21-ETC(PN)/82

Subject : Export of manufactured articles/handicrafts in which Peacock Tail Feathers have been used (except Broom, Bundles and Dusters etc.) during 1982-83.

File No. 30/11/82-E-II Attention is invited to Exports (Control) Amendment Order No.E(C)O.1977/AM(238) dated the 3rd May, 1982, on the above subject.

2. It has been decided to allow the export of manufactured articles/handicrafts made of Peacock Tail Feathers (except brooms, dusters and bundles) by the following categories of exporters :—

1. Rajasthan Feathers (Production) Co-operative Society, Jodhpur.
2. Bihar State Export Corporation.
3. Other Public Sector Co-operative Agencies.
4. Exporters of Manufactured articles/handicrafts in which Peacock Tail Feathers have been used.
5. Established Exporters.

3. Export of articles made out of Peacock Tail Feathers will be allowed by the agencies mentioned at S.Nos. 1 to 2 against the specific quota set apart for them. As regards Catogories mentioned at S. Nos. 3 and 4 above, export will be allowed within a limited ceiling on first-come, first-served basis in terms of provision of paragraph 14 of Import and Export Policy Book for 1982-83(Vol.II). As regards established exporters, export will be allowed against the quota allocated to them on pro rata basis. The quota has been separately communicated to the concerned port licensing authorities. Export by all the five categories of exporters will be allowed against irrevocable Letter of Credit only. Preference will be given to items of high added value which are labour intensive. Peacock Tail Feathers as such, and Crest feathers or any other part of Peacock will not be allowed for export.

4. Accordingly, the existing entry appearing against S.No.4 (d) at page 9 of the Import and Export Policy for 1982-83(Vol.II) shall be amended to read as under :—

S.No. as in Part 'B' Schedule I to the Exports (Control) Order, 1977.	Description of the item	Licensing Policy
4(d)	Manufactured articles/handicrafts made of Peacock Tail Feathers (except brooms, dusters and bundles).	Export will be allowed within a limited ceiling on first-come, first-served basis against irrevocable Letter of Credit. Preference will be given to the items of high added value and which are labour intensive. Export of Peacock Tail Feathers as such, crest feathers or any other part of Peacock will not be allowed.

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controllor
Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982